भारत सरकार

रेल मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**तारांकित प्रश्‍न सं. 60**

27.02.2015 को दिया जाने वाला उत्‍तर

**पूर्वी समर्पित माल-ढुलाई गलियारा परियोजना**

**\*60. श्री सी. एम. रमेश:**

**क्‍या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पूर्वी समर्पित माल-ढुलाई गलियारा के निर्माण संबंधी योजना पर विचार किया था, यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि और रेलवे के पास उपलब्ध भूमि का ब्यौरा क्या-क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ रेलवे के पास उपलब्ध भूमि के अलावा भूमि अधिगृहीत की थी; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ यदि कोई भूमि अधिगृहीत की गई थी तो उसका ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**रेल मंत्री (श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु)**

1. से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*\*

पूर्वी समर्पित माल-ढ़ुलाई गलियारा परियोजना के संबंध में दिनांक 27.02.2015 को राज्‍य सभा में श्री सी. एम. रमेश द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्‍न सं. 60 के भाग (क) से (घ) के उत्‍तर से संबंधित **विवरण।**

(क): जी हां। पंजाब में लुधियाना से पश्चिम बंगाल में दानकुनी तक 1856 किमी लंबी पूर्वी समर्पित माल यातायात गलियारा परियोजना स्‍वीकृत की गई है और इसका क्रियान्‍वयन शुरू कर दिया गया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 30358 करोड़ रु. है (इसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए क्रियान्वित की जाने वाली 538 किमी. सोननगर-दानकुनी खंड की परियोजना शामिल नहीं है)। पूर्वी समर्पित माल यातायात गलियारा पंजाब, हरियाणा, उत्‍तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्‍यों से होकर गुजरेगा। पूर्वी समर्पित माल यातायात गलियारे में प्रमुख रूप से कोयले और स्‍टील की ढुलाई होगी और इस व्‍यस्‍त मार्ग पर रेल परिवहन क्षमता में बढ़ोतरी होगी। माल यातायात गलियारों के निर्माण, परिचालन और अनुरक्षण के लिए रेल मंत्रालय के अधीन भारतीय समर्पित माल यातायात गलियारा निगम लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नामक विशेष प्रयोजन माध्यम संस्था का गठन किया गया।

(ख) से (घ): पूर्वी समर्पित माल यातायात गलियारे के लिए 2361 हेक्‍टेयर रेल भूमि सहित कुल 7911 हेक्‍टेयर भूमि की आवश्‍यकता का आकलन किया गया था। रेल संशोधन अधिनियम, 2008 की धारा 20 एफ (मुआवजे का आबंटन) के अंतर्गत जनवरी 2015 तक 5550 हेक्‍टेयर में से 4027 हेक्‍टेयर भूमि का कुल अधिग्रहण आबंटन घोषित किया गया।

\*\*\*\*\*\*